

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या:- 01/2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुखदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		1. परविन्द्र कौर पत्नी नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		2. जगदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. रेशम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		3. हरदीप सिंह पुत्र नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		4. जसविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. ठाना सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		5. नसीब कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. नसीब कौर पत्नी ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		6. सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. जसकरण सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		7. दर्शन सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
8. जसपाल सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।		8. रामचन्द्र पुत्र कर्म सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		9. सिरमजीत कौर पत्नी बग्गा सिंह जाति तरखान निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		10. मनविन्द्र कौर पत्नी कलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		11. हरजिन्द्र कौर पत्नी बेअन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 वी धनूर तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
		12. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु:- 02/01/23

उपस्थित: 1. श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय--

दिनांक: 20.07.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 115, 120, 139 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

से संयुक्त रूप से कृषि भूमि दर्ज है। उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खाता में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि वादीगण की स्वयंअर्जित भूमि है, जिस पर वादीगण काफी वर्षों से खरीद की दिनांक से निरंतर, निर्बाध रूप से, शांतिपूर्वक काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में जान पहचान व एक ही गांव के सदस्यगण हैं। उक्त कृषि भूमि गत कई वर्षों से संयुक्त खाता में चली आ रही है, जिस पर वादीगण अपने-अपने हिस्सा के अनुसार काफी समय से काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त सम्पत्ति संयुक्त खाता में होने के कारण वादीगण को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। वादीगण को अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा-टैका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, केन्द्र/राज्य सरकार से कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने व रास्ता इत्यादि की विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। चूंकि वर्तमान में वादीगण का परिवार काफी बढ़ चुका है। भविष्य में वादीगण के बच्चों को उक्त कृषि भूमि के संबंध में किसी प्रकार के वाद विवाद न हो और वह शांतिपूर्वक भूमि का उपयोग कर सकें। इस कारण वादीगण अपने नाम दर्ज कृषि भूमि का अन्य संयुक्त सहखातेदारान से किलावाईज विभाजन करवाकर, अपने कब्जा व हिस्सा की कृषि भूमि को अलग से किलावाईज विभाजन करवाना चाहते हैं तथा वादीगण के हिस्सा में आई कृषि भूमि का राजस्व लगान भी अलग से वादीगण अपने नाम कायम करवाना चाहते हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा है कि संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण संयुक्त खाता में भूमि होने व अन्य पारिवारिक असमर्थता का हवाला देकर दाल-मटोल कर रहे हैं। आज से 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण ऐसा करने से इंकार हो गये हैं। उसी रोज वादीगण को वादहेतुक उत्पन्न हुआ। यही वाद कारण है। सभी पक्षकार एक साथ एकत्रित नहीं हो रहे हैं और वादीगण को अपनी कृषि भूमि के संबंध में पूर्व मद में अंकितानुसार विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत् विभाजन व घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प वादीगण के पास शेष नहीं रहा है। इस कारण वादीगण उक्त आशय का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 139, 115, 120 में वादी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 1 से 4 के संयुक्त कब्जा काश्त अनुसार व चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 139, 115, 120 में वादी संख्या 5 से 8 के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादी संख्या 5 से 8 के संयुक्त कब्जा काश्त अनुसार संयुक्त रूप से खातेदार घोषित किया जावे एवं अलग से खाता व लगान कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन क्लब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 115, 120, 139 की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्सा में आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। शेष खाता एवं रहन बद्स्तूर रहें। तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, की जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 115, 120, 139 की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सुखदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (2.025 हैक्टेयर) गुरदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (3.176 हैक्टेयर) रेशम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर(1.278 हैक्टेयर) सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (1.151 हैक्टेयर)	11 एस	12	1 ता 5	1.265 हैक्टेयर	नहरी	8.75
				11 ता 22	3.036 हैक्टेयर	नहरी	21.0
				23 ता 25	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.25
			31	1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.87
				2/1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				2/2	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.87
				3 ता 8	1.518 हैक्टेयर	नहरी	10.50
				13	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				14	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				15	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
13	23/1	0.165 हैक्टेयर	नहरी	1.41			
2	ठाना सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (2.024 हैक्टेयर) नसीब कौर पत्नी ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (1.265 हैक्टेयर) जसकरण सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (0.253 हैक्टेयर) जसपाल सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (0.379 हैक्टेयर)	11 एस	31	1	0.127 हैक्टेयर	नहरी	0.88
				9 ता 12	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.00
				13	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.87
				14	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.87
				16 ता 25	2.530 हैक्टेयर	नहरी	17.50

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर तहसील पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तहसील जाव्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

सुखदेव सिंह आदि बनाम परविन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नं. 01/2023

निर्णय दिनांक :- 20.07.2023

यह मुकदमा आज वारते इन्फिसाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 11 एस, पटवार हल्का धनूर, की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 40, 41, 99, 115, 120, 139 की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	सुखदेव सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (2.025 हैक्टेयर) गुरदीप कौर पत्नी सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (3.176 हैक्टेयर) रेशम सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर(1.278 हैक्टेयर) सुखविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (1.151 हैक्टेयर)	11 एस	12   31   13	1 ता 5 11 ता 22 23 ता 25 1 2/1 2/2 3 ता 8 13 14 15 23/1	1.265 हैक्टेयर 3.036 हैक्टेयर 0.759 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 1.518 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.127 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.165 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	8.75 21.0 5.25 0.87 0.88 0.87 10.50 0.88 0.88 1.75 1.41
2	ठाना सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (2.024 हैक्टेयर) नसीब कौर पत्नी ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (1.265 हैक्टेयर) जसकरण सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर,(0.253 हैक्टेयर) जसपाल सिंह पुत्र ठाना सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं0 03, केसरीसिंहपुर, (0.379 हैक्टेयर)	11 एस	31	1 9 ता 12 13 14 16 ता 25	0.127 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 0.126 हैक्टेयर 2.530 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.88 7.00 0.87 0.87 17.50



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।  
आज दिनांक 20.07.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

①

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	700	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	704	00	योग	00	00

②

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर

दिनांक: 01/08/2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/ 424

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



③

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर